आधुनिक समाज में सफाई कर्मियों के जीवन में उत्पन्न सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(आगरा नगर के वाल्मिकी समुदाय के विशेष सन्दर्भ में)

दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग,
आगरा की
पीएच. डी. (समाजशास्त्र) की उपाधि हेतु
प्रस्तावित अनुसंधान की संशोधित रूपरेखा
(2018–2019)

शोध निर्देशक :–
प्रो. लजवन्त सिंह
विभागः समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान
समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थिनी :–
देविका शर्मा

संकाय प्रमुख :–
प्रो. कमलजीत संधू
समाज विज्ञान संकाय

विभागाध्यक्ष :–
प्रो. पूर्णिमा जैन
विभागः समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान
समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग,

आगरा–282005

प्रस्तावना–

संवैधानिक रूप से भारत में जाति–व्यवस्था और अस्पृश्यता के लिये कोई जगह नहीं है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। जातिय व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़ा यह वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों का वर्ग है, जिसे समाज में घृणा के रूप में देखा जाता है। इस समाज से पढ़–लिखकर दूसरे पेशों में जाने वाले शिक्षित वर्ग को भी समाज की अस्पृश्यता की भावना को सहन करना पड़ता है, क्योंकि समाज में जड़ों तक फैली जातीय मानसिकता शिक्षित वर्ग को भी झेलनी पड़ रही है। यही स्थिति समूचे देश में है। जिसके समाधान की जरूरत है, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें।

देश के विभिन्न हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी अधिक संख्या में लोग मैला सफाई जैसे घृणित कार्यों में लगे हुये है। यह पेशा जाति पर आधारित है। इस समुदाय के सदस्य हिन्दु समुदाय में सबसे नीचे माने गये है और यह पूरे देश में विभिन्न जातिगत नामों से विद्यमान है। जैसे– भंगी, पाखी, अस्पृश्य, बाह्य जातियाँ, निषाद, अतिशुद्र, आदि। यद्यपि यह काफी समय से कानूनी रूप में निषिद्ध है परन्तु अधिकांश राज्यों में मैला उठाने की कुप्रथा मौजूद है। पारंम्परिक भारत में हिन्दु समाज पाँच मुख्य स्तरों में विभाजित है। चार वर्णों में से पाँचवा समूह बहिष्कृत था, जिसके सदस्य अस्पृश्य थे। यह जाति कई उपजाति में विभाजित थी। जाति के प्रथम दो वर्णों के व्यवसायों को क्रमशः पुजारी, प्रशासनिक कार्य तथा सैन्य कर्त्तव्यों के लिये बताया गया है, तथा अंत में शुद्र थे, जिन्हें अस्पृश्य व अशुद्ध माना जाता है। यही स्थिति उनके सभी सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है तथा इन्हें जाति व्यवस्था के कारण बाहरी इलाकों में या स्वयं की बस्तियों में रहना पड़ता था।

मैला सफाई की कुप्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, भारत के शहरों में आज भी वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों को गन्दे नालों की सफाई के लिये बिना किसी सुरक्षा या रक्षात्मक उपकरण के मानवजनित मल में उतरना पडता है। कहीं–कहीं ऐसे भी उदाहरण है, जहाँ बच्चों को मैनहोल में उतरने के लिये विवश कर दिया जाता है।

सफाई कर्मियों से अभिप्राय–

"किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अवशिष्टों की सफाई करना या हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैन्युअल स्कैवेंजिग को सफाई कर्मी कहते है।"

• **भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1996** में मैला सफाई कर्मी की परिभाषा दी, कि "वह जो आंशिक रुप से या पूरी तरह से अप्रिय और अमानवीय कार्यों में व्यस्त है, वह सफाई कर्मी कहलाते है।"

• **सफाई कर्मचारी अधिनियम, 1993 के राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 के अनुसार–** सफाई कर्मचारी का अर्थ मैन्युअल रुप में व्यस्त या नियोजित व्यक्ति है जो मानव अवशिष्ट ले जाने व स्वच्छता का काम करते है।

वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों का इतिहास–

अरब देशों में कबीलाई संस्कृति थी। जहाँ महिलाओं के अपहरण व लूट की घटनाओं के कारण ही शौचालय बनाये गए तथा प्राचीन काल में भारत में घर से बाहर जंगलों व खेतों में शौच हेतु जाने की प्रथा थी परन्तु मुस्लिम शासक जब भारत आए, तब तक लोग घरों से बाहर ही शौच के लिये जाया करते थे। किन्तु मुस्लिम राजाओं के घर के अन्दर ही शौचालय की व्यवस्था थी। तब इस गन्दे कार्य के लिये उन योद्धाओं को लगाया जाता था, जो युद्ध में बंदी बनाये गए होते थे। इन योद्धाओं को मल साफ करने के लिये विवश किया जाता था। यह योद्धा बहुत वीर थे, यह इस्लाम स्वीकार करने के बजाय गन्दे कामों में लग गये। अपने धर्म व जात का अपमान न हो इसलिए यह अपने ही लोगों से दूर भी रहने लगे।

बाद में हिन्दु समाज ने इस समुदाय को बाहर कर दिया और इन्हें सदा के लिये दलित बनाकर मैला साफ करने के कामों में ही लगा दिया। इतिहास के कई लेखों के अनुसार इन वीर हिन्दु लोगों को 'दलित' नाम अंग्रजों ने दिया था, क्योंकि यह लोग मुस्लिम शासकों द्वारा शोषित थे और तन–मन–धन से इनका शोषण किया जाता था। गत् तीन वर्षों के दमन, शोषण से दबा, कुचला यह

वर्ग विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो पाया है। समाज को स्वच्छ रखने की इनकी इस भावना को हमेशा तिरस्कार ही मिला है लेकिन इस नरकीय जीवन से बाहर आने की छटपटाहट उनके भीतर हमेशा रही है।

मैला सफाई की कुप्रथा–

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इस शताब्दी के पहले दशक से उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है और लाखों लोगों के लिए भारत अवसरों की एक भूमि बन गयी है। फिर भी सदियों से मैला सफाई की कुप्रथा, घृणित तथा अपमान जनक कार्य भारतीय समाज का हिस्सा है और समाज में इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता रहा है। मैला सफाई की कुप्रथा का स्थान उन सामाजिक बुराइयों में आता है, जो सदियों की पुरानी जाति व्यवस्था से निकलती है। सफाई कर्मी का ठप्पा लग जाने से दूसरी जाति के लोग उन्हें उस काम के अलावा किसी अन्य काम के लिए नहीं बुलाते है, क्योंकि उनकी पुरानी पीढ़ी हजारों साल से इस कार्य को करती रही है। इसलिए इन लोगों को किसी भी सम्मान जनक कार्य को करने से वचिंत कर दिया जाता है। कानून को लागू करने वाले अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते ये गंभीर भेदभाव लगातार बना हुआ है। साथ ही इसके लिए वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों के लिए बने, मौजूदा कानूनों में कमियाँ प्रमुख कारण रही है। दुनिया में कहीं भी मैला साफ करना एक अमानवीय और छूआछूत से ज्यादा अपमान जनक जीवित कुप्रथा है। भारत में इस कुप्रथा को मानवीय गरिमा के बजाय सफाई के मुद्दे से जोड़कर देखा जाता है जबकि यहाँ संविधान हर नागरिक के सम्मान की गारंटी प्रदान करता है। इसी स्थिति को देखते हुए **महात्मा गाँधी** ने कहा कि– ''मैं फिर से पैदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा होता, तो मैं एक सफाई कर्मी के परिवार में पैदा होना चाहुँगा, ताकि मैं उन्हें अमानवीय, अस्वास्थ्यकर और घृणास्पद कार्य से मुक्त कर संकू''।

भारत में सफाई कर्मी (वाल्मिकी समुदाय)–

भारत में "मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993"

होने के बावजूद देश भर में 13 लाख लोगों के इस काम के रोजगार में लगे होने की रिपोर्ट है, जबकि राज्यों ने केवल 1.16 लाख लोगों के होने की रिपोर्ट दी है।

वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिये चलाई जाने वाली केंद्रिय योजनाओं के लिये केवल 80,000 मैला सफाई कर्मियों को योग्य पाया गया है। यद्यपि कर्नाटक ने सन् 1970 में ही मैला सफाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, फिर भी NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) की रिपोर्ट अब भी इस कार्य में 8,000 लोगों के लगे होने की पुष्टि करती है।

भारत सरकार द्वारा सन् 2011 में जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007 में मैला उठाने वालों के स्वरोजगार योजना (SRMS) के तहत 1,18,474 मैला सफाई करने वालों की पहचान की गयी थी।

सन् 2011 की जनगणना में 26 लाख घरों में अब भी अस्वास्थ्यकर शौचालय होने का अनुमान हुआ है, जिसकी सफाई मैला साफ करने वालों के माध्यम से की जाती है। भारत में प्रतिदिन 13 लाख लोगों को मानव मल को साफ करने के लिये मजबूर किया जाता है, जिसे मैला ढोना कहा गया है। इसके बाद केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन के लिये समीक्षा बैठक की घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी एवं वाल्मिकी समुदाय–

आज देश में बातें शौचालय और स्वच्छता की हो रही है। नेता बड़े–बड़े मंच से स्वच्छता की बातें करते है। मगर स्वच्छता की तस्वीर देश में बेहद घिनौनी है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज भी वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मी मैला उठाने का कार्य होता है।

कई पत्रिकाओं के अनुसार आज भी सफाई कर्मी हाथ से मैला उठाते है। प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का दावा है कि देश में मैला सफाई की कुप्रथा खत्म हो चुकी है लेकिन उत्तर प्रदेश की गलियों में गन्दगी उठाये महिलायें देखी जाती है तो सच्चाई का पता चलता है। शहर के पुराने क्षेत्रों में मैला सफाई की कुप्रथा से वास्ता आसानी से मिल जाता है। जहाँ सीवर लाइन नहीं है बल्कि शुष्क

शौचालय है। वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों के मैला साफ करने के काम को देख कर मन विचलित जरूर हो सकता है मगर यह सच देश के सामने है।

उत्तर प्रदेश में आगरा एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शहर है, लेकिन यहाँ पर भी अनेक ऐसी जातियाँ रहती है, जिनसे दूसरी जाति छूआछूत का व्यवहार करती है। इनसे मुख्य रूप से शौचालय साफ करने तथा मैला सफाई का काम करते है। उन्हें अछूत, अस्पृश्य या दलितों में अति पिछड़ा वर्ग कहा जाता है क्योंकि सवर्ण कहीं जाने वाली जातियाँ इनसे नफरत करती है। शायद इसका कारण सबसे गन्दा पेशा मैला सफाई कर्मी का रहा है इसलिए यहाँ की अन्य दलित जातियाँ भी इससे दूरी बनाये रखती है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग–

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का सफाई कर्मचारियों के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए **12 अगस्त 1994** को केवल 3 वर्षों के लिए गठन किया गया। सफाई कर्मियों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ विचार–विमर्श किया गया है। किसी मनुष्य द्वारा त्याग किये गये मलमूत्र की साफ–सफाई के लिए व्यक्ति विशेष को नियुक्त करने की व्यवस्था में सर्वथा के लिए महात्मा गाँधी समेत तमाम महापुरूषों ने समय–समय पर प्रयास किये। यह कुप्रथा निजी तथा सरकारी प्रतिष्ठानों में भी अपनी जड़े फैलायी हुयी है। जबकि आज पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा साफ–सफाई पर जोर–शोर से कार्य हो रहा है। तब जरूरी हो जाता है कि इस अमानवीय पेशों के उन्मूलन के लिए सभी प्रयास किए जाए।

केंद्र में बनी नई सरकार ने **2 अक्टूबर 2014** से पाँच वर्षों के लिए स्वच्छ भारत अभियान की पहल की है तथा इसमें सभी लोग पूरी लगन और निष्ठा से शामिल हो रहे है लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मी के साथ हो रहे अमानवीय और अपमान जनक व्यवहार से मुक्त कराया जाए। आजादी के 6 दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ये राष्ट्रीय शर्म

का कारण है कि 21 वीं सदी के समय में भी हजारों परिवार सामाजिक तौर पर इस मैला सफाई कर्मी अमानवीय और अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर है।

मैला सफाई (ढोने) के विरूद्ध नियम व कानून–

मैला सफाई के काम और शुष्क शौचालय निर्माण (प्रतिबन्ध) का कानून, सन् 1993 में सफाई कार्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य को हल करने के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन सरकार 18 वर्षों बाद भी इस कानून को लागू करने में असमर्थ रही, जिसका नतीजा यह रहा कि हजारों लोग अभी भी मैला सफाई की अमानवीय प्रथा का हिस्सा बने हुए है। **केन्द्रिय गृह मंत्रालय** ने सन् 2011 में सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति मैला सफाई के कार्य करने हेतु में किसी को बाध्य करता है तो वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के दायरे में आयेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान है।

17 जून 2011 को पूर्व प्रधानमंत्री **डॉ.मनमोहन सिंह** ने मैला सफाई की कुप्रथा 'भारत की विकास प्रक्रिया के चेहरे पर एक गहरा काला धब्बा करार दिया था'। सरकार मैला सफाई के सभी तरीकों से लेकर सीवर सफाई और सैप्टिक टैंक की सफाई कर्मचारियों की पूरी मुक्ति के लिए नया और व्यापक कानून बनाने के लिए बाध्य थी। 12 मार्च 2012 को संसद के संबोधन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति **श्रीमती प्रतिभा पाटिल** ने सामाजिक न्याय के लिए वादा करते हुए कहा कि सरकार मैला सफाई की कुप्रथा और गंदे शौचालयों को समाप्त करने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश करेगी।

भारतीय संविधान अधिनियम के अन्तर्गत मैला सफाई कर्मियों की स्थिति–

1. मैला सफाई कर्मचारी का रोजगार और सूखे शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993–

- इस अधिनियम के तहत लोगों के मैला सफाई कर्मचारी के रूप में रोजगार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

- इस अधिनियम में हाथ से मैला साफ कराने को संज्ञेय अपराध मानते हुए आर्थिक दंड और कारावास दोनों ही आरोपित करने का प्रावधान है।
- यह अधिनियम सूखे शौचालयों के निर्माण को भी प्रतिबन्धित करता है।

2. मैला सफाई कर्मचारी के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013–

- यह अधिनियम मैला सफाई कर्मचारी के तौर पर किये जा रहे, किसी भी कार्य या रोजगार का निषेध करता है।
- मैला सफाई कर्मी तथा उनके परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था भी करता है और यह जिम्मेदारी राज्यों पर आरोपित करता है।
- इस अधिनियम के तहत मैला सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, ऋण देने और आवास प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी थी।

3. मैला सफाई कर्मचारी के पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार योजना–

- इस योजना के तहत मैला सफाई कर्मियों के लिए 40,000 रूपये की एकल नकद सहायता प्रदान की जाती है।
- इसमें आजीविका परियोजनायें आरंभ करने के लिए रियायती दरों पर 15 लाख रूपये तक के ऋण की व्यवस्था की गयी है।
- इस योजना में 3,25,000 रूपये तक की क्रेडिट से जुड़ी पूंजी सब्सिडी की भी व्यवस्था की गयी है।

प्रस्तुत भारतीय संविधान अधिनियम के अन्तर्गत मैला सफाई कर्मियों की स्थिति को सुधारने के लिये कई प्रयास किये गये है परन्तु फिर भी इनकी स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं आया है।

अवधारणात्मक स्पष्टीकरण–

- **अस्पृश्यता–** जब समाज का कोई भी समुदाय जाति, परम्परा अथवा रूढ़ि के आधार पर किसी अपवित्र कार्य को करता है और उच्च वर्ग के व्यक्ति उसे छूआछूत का व्यवसाय मानता है। तथा उस समुदाय को सामुहिक रूप से अस्पृश्य मानकर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से वर्जित करता है, इसे अस्पृश्यता कहते है।
- **मानवाधिकार–** प्राकृतिक अधिकार जो मानव को जन्म लेते ही प्राप्त होते है, उसे हम मानव अधिकार कहते है। दूसरे शब्दों में, ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होने चाहिए, वे अधिकार मानव अधिकार कहलाते है।
- **जाति व्यवस्था–** हिन्दुओं के सामाजिक जीवन की विशिष्ट व्यवस्था जाति व्यवस्था है, जो इनके आचरण, नैतिकता और विचारों को सर्वाधिक प्रभावित करती है।
- **सामाजिक असमानता–** विभिन्न सामाजिक प्रस्थितियों में एक समुह या समाज के अन्दर उत्पन्न होने वाले असमान अवसरों को सामाजिक असमानता कहा जाता है।

शोध की समस्या–

भारत सरकार द्वारा 2 दशक पहले भारत में मैला सफाई की कुप्रथा पर रोक लगा दी गई, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में यह परम्परा जारी है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि समाज को स्वच्छ और साफ रखने वाले मनुष्य को, उसी समाज में जिसे वह रहने लायक बनाता है, जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। इससे बड़ी मुश्किल समाज में और क्या हो सकती है कि समाज के लिए जो व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही निकृष्ठ और त्याज्य है, वही अछूत, अस्पृश्य है और हजारों सालों से यह मानसिकता चली आ रही है। आज भी स्थिति यही है कि मैला सफाई कर्मी को देखकर लोग मुँह फेर लेते है। उनके काम के प्रति अकसर लोग उदासीन होते हैं या फिर कार्य को निकृष्ट मानकर उनकी उपेक्षा करते है इसलिए यह वर्ग हमेशा घोर उपेक्षा और पीड़ा के साथ जीवन जी रहा है। समाज की उपेक्षा और प्रताड़ना ने उनमें इस स्तर पर हीन बना दिया है कि इस समुह में जन्में

उच्च शिक्षित, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति भी अपनी पहचान छिपा कर रहने को मजबूर है। दलितों में अतिदलित यह तबका आर्थिक विपन्नता के दलदल में फँसा है तथा कई तो दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे है तथा इनके साथ दिन–प्रतिदिन दुर्घटनाएँ व हादसे बढ़ते जा रहे है। वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों के हित के लिए बनायी गयी सरकारी समितियों की सिफारिशें महज पुरानी–पौथी बनकर रह गई है। आज भी वाल्मिकी समुदाय के मैला सफाई कर्मियों का वर्ग अपनी अछूत व अस्पृश्य स्थिति सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। इन समस्या पर दृष्टिपाथ करते हुए शोधार्थिनी द्वारा वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों के जीवन में उत्पन्न सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ का अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन का महत्व–

वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों की मूल समस्या सामाजिक स्तर पर अस्पृश्यता एवं विपन्नता है। जिसमें बदलाव के लिए संघर्ष और दासता से मुक्त होने का भाव पैदा होना जरूरी है। उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का आंकलन करना है। इस लम्बे नरकीय दौर में उनकी उपलब्धियों, संघर्षों की खोज कर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है, जो भविष्य के अन्धकार से उसे बाहर निकालने की प्रेरणा दे सके। इसके लिए वर्तमान में उनका मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है।

वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मी जो कार्य करते है, उसे समाज में गन्दा या घृणा की दृष्टि से देखता है तथा ऐसे कार्य को कोई नहीं करना चाहता है। फिर भी इस कार्य को करने वाले कर्मियों को सम्मान देने के बजाय अपमानित किया जाता है इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मी के जीवन में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का अध्ययन किया जायेगा। उनके स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के साथ–साथ शिक्षा के निम्न स्तरों के कारणों का भी अध्ययन किया जायेगा, जिससे उनमें कानून व संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता आ सके ताकि समाज में मैला सफाई कर्मियों की स्थिति में सुधार किया जा सके और समाज में उनको भी आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा जाये। तथा अन्य जातियों के समान उनको भी उचित स्थान प्राप्त हो सके। इन सभी

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थिनी ने इस विषय की महत्वता को बताया है तथा यह अध्ययन भविष्य के अध्ययनों के लिए साहित्य भी प्रदान करता है।

साहित्य पुनर्वालोकन :–

- **डॉ. अम्बेडकर, बी. आर. "हू आर दे? एंड व्हाई दे बीकेम अनटेबल्स?"(1949)**– में भारतीय इतिहास में दलितों की समस्या को पहली बार राजनैतिक पटल पर लाने का श्रेय इन्हें जाता है। इन्होंनें गाँधी जी की वर्ण–व्यवस्था के समर्थन के समक्ष एक चट्टान की तरह खड़े होकर प्रहार किया। इन्होंनें जातिप्रथा के विनाश के लिए जहाँ अंतर्जातीय विवाह को मूल उपाय बताया, वहीं दलितों की स्थिति को सुधारने के लिये आरक्षण को जरूरी माना। अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंनें बौद्ध धर्म स्वीकार करके दलितों को अपने धार्मिक स्तर पर सोचने के लिये एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया।
- **श्रीनिवास, एम. एन."आधुनिक भारत में जाति" (2001)–** प्रस्तुत पुस्तक में आधुनिक भारत में जातियों का अध्ययन किया तथा बताया कि जातिप्रथा कोई कठिन प्रणाली नहीं है। जाति श्रेणीक्रम के मध्यवर्ती तबकों में हमेशा परिवर्तन की सम्भावना रही है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में इस प्रकार बसी है कि उसके बिना समाज में मूल समस्याओं की बात करना बेकार है। इसमें इसमें जनतांत्रिक प्रक्रिया प्रकाशन एवं शिक्षा में जाति द्वारा अदा की जाने वाली भूमिकाओं पर प्रकाश डाला है।
- **वाल्मीकि, ओमप्रकाश "जूठन"(2003)–** प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय इतिहास में दलितों व अछूत वर्ग के उत्पीड़न और इससे मुक्ति की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना है। इसके लिये लेखक जहाँ एक ओर ब्राह्मणवादी सांमती मानसिकता का घोर विरोध करते है, वही अस्पृश्य वर्ग के अंधविश्वास, रूढ़िवादी और कुसंस्कारग्रस्तता की भी आलोचना की है। लेखक ने उच्च जातियों और निम्न जातियों के पक्ष में संघर्ष–क्षमता को बताया है। इन्होंनें दलित विमर्श को एक स्वस्थ, सुसंस्कृत और पूर्वग्रहमुक्त आंदोलन बनाने का प्रयास किया है। लेखक ने आरंभ से अन्त तक दलित जीवन की असहायता, विवश्ता और अनेक प्रकार के अत्याचारों के साथ सवर्णों (उच्च

जातियों) द्वारा स्वीकृत वर्ण–व्यवस्था, ब्राह्मणवाद के सहारे पलने वाली सांमती मानसिकता पर गहरा आक्रोश प्रकट किया है।

- **पाठक, बिन्देश्वर "मुक्ति के मार्ग पर"(2005)**– प्रस्तुत पुस्तक लेखक के बीस सालों से अधिक के गहन अध्ययन का परिणाम है। इस अध्ययन का उद्देश्य कम लागत में सफाई व्यवस्था द्वारा मैला सफाई करने वालों की समस्या से मुक्ति के लिये प्रयास करना है। जिसमें सफाई कर्मियों की समस्या के आधार, इतिहास का अध्ययन किया गया है। यह तीन शहरों (पटना, मुजफ्फरपुर, आरा) के कुल 150 उत्तरदाताओं का अध्ययन है। प्रस्तुत पुस्तक सफाई कर्मियों की समस्या को खत्म करने की ओर एक प्रयास है। लेखक इस समस्या को हमेशा के लिये एक नयी प्रणाली के रूप में अपनाना चाहता है। जो सस्ती तथा अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत है। प्रस्तुत अध्ययन में सफाई कर्मियों की स्वतंत्रता के लिये चलाये गये अभियानों का भी विश्लेषण किया गया है।
- **खुदशाह, संजीव "सफाई कामगार समुदाय"(2005)**– प्रस्तुत पुस्तक में सफाई कर्मचारियों की उत्पत्ति से लेकर समाज द्वारा उनके साथ किए गए क्रूर व्यवहार का उल्लेख किया गया है तथा इस पर विचार किया कि ऐसी कौन सी विपत्ति आयी जिसके कारण इन्हें इस अपमानित कार्य स्वीकार करना पड़ा। इन समस्याओं के समाधान खोजने के लिये लेखक ने अपनी पुस्तक में अध्ययन किया। भारत में इस समुदाय को सबसे निचला माना जाता है तथा सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि एक मानव दूसरे मानव मल–मूत्र सिर पर ढोकर चलता है। भारत में मैला सफाई के कार्य में लगे, लोग मूलतः हिन्दू थे, बाद में धर्म परिवर्तन के कारण मुस्लिम और ईसाई बने परन्तु वास्तविकता में सफाई का कार्य कोई एक जाति पर आधारित नहीं है बल्कि कई जातियाँ इस कार्य में लगी हुई है।
- **कर्दम, जयप्रकाश "दलित साहित्य"(2006)**– प्रस्तुत पुस्तक में लेखक का मानना है कि जहाँ एक तरफ न्याय, समानता और वैज्ञानिकता पर आधारित दूसरी दुनिया के निर्माण के लिये सोचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दलितों के दमन की कार्यवाही रूक नहीं रही है। समाज में निचले

वर्ग का निरंतर उत्पीड़न हो रहा है। निरंतर इनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इन्हें अपमानित किया जाता है। यह आज से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। निचला वर्ग यह जानता और मानता भी है कि वह कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद के शिकार और उनके सताए हुए हैं। प्राचीनकाल से ही ऐसे समाज सुधारक व सामाजिक चिंतक हुए है जिन्होनें समाज में फैले पाखण्डवाद को दूर करने के लिये समाज का आह्वान किया परन्तु अनेकों प्रयासों के बावजूद में आज भी धार्मिक पाखण्ड़ों का बोलबाला है। एक तरफ समाज वैज्ञानिकता को महत्व दे रहा है वहीं दूसरी तरफ इन धार्मिक पाखण्ड़ों में उलझा हुआ है। लेखक के अनुसार यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज अपने ही द्वंद में डूबा है।

- **मेश्राम, एल. जी. 'विमलकीर्ति' "और बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा..."(2008)–** प्रस्तुत पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर के विचारों का उल्लेख किया गया है तथा उनके द्वारा दलितों और पिछड़ी जातियों की मुक्ति के लिये और उनके अधिकारों के लिये कई प्रयासों का भी उल्लेख है। उनका मानना था कि शासक बदलते गये परन्तु इनकी समस्याओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेखक का कहना है कि अछूतों को कानूनी स्वतंत्रता की बजाय सामाजिक स्वतंत्रता की ज्यादा आवश्यकता है। जिस समाज में व्यक्ति से ज्यादा धर्म की कीमत हो तथा व्यक्ति से अधिक धर्म की प्रधानता हो, वह समाज या धर्म नरक के समान है।
- **वाल्मीकि, ओमप्रकाश "सफाई देवता"(2008)–** ने प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय समाज के सबसे उपेक्षित तबके भंगी या वाल्मीकि की ऐतिहासिक परिपेक्षय के साथ, मौजूद वास्तविक स्थिति का सप्रमाण वर्णन किया गया है तथा इनकी धार्मिक, पूजा–पद्धति से जुड़ी मान्यताओं को भी बताया गया है। लेखक का उद्देश्य ऐसी मिशाल पेशा करना है जो समाज में भविष्य के अन्धकार से बाहर निकलने की प्रेरणा दे सके। लेखक का कहना है कि समाज जितना समय इनसे घृणा करने में व्यर्थ करता है उतना समय स्वच्छता स्थापित करने में नहीं लगाता है। जिससे इनकी स्थिति में सुधार किया जा सके।

- **सिंह, राजीव कुमार एवं जिआउद्दीन, "मैनुअल स्कैवजिंग एज़ सोशल एक्सक्लूसिवः ए केस स्टडी"(2009)–** प्रस्तुत शोध भारत में मैला सफाई कर्मी के रूप में जाति व्यवस्था के सामाजिक बहिष्कार की समस्या से संबंधित है। यह अध्ययन पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मैला सफाई के कारण और परिणाम का विश्लेषण करता है तथा यह पूर्वगामी सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें 72 मैला सफाई कर्मी के औपचारिक साक्षात्कार में पाया गया कि ज्यादातर 30–50 आयु वर्ग के थे। प्रस्तुत शोध में बताया गया है कि यदि लोग अपने व्यवसाय से भिन्न कार्य करना चाहे तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार के कारण कोई कार्य नहीं मिलती है। कार्य के अनुसार इन्हें आय नहीं दी जाती है, जिससे इनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इनकी स्थिति सुधारने के लिये इन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। इसके लिये सरकार को प्रशिक्षिण, आगनबाड़ी जैसी संस्थाओं का निर्माण और इनके पुर्नवास की व्यवस्था करानी होगी।
- **माइकल, एस. एम. "आधुनिक भारत में दलित दृष्टि एवं मूल्य"(2010)–** ने अपनी पुस्तक में आधुनिक भारत में दलितों की मुख्य चिन्ताओं का विश्लेषण किया तथा बताया कि भारतीय समाज की दलित दृष्टि, उच्च जातियों की दृष्टि से बिल्कुल ही भिन्न है। वर्तमान में दलितों की आकांक्षाएँ परम्परागत भारतीय समाज से बिल्कुल विपरीत है। यह बदलाव उस दृष्टिगत परिवर्तन का परिणाम है जो भूतकाल में अस्पृश्यों ने देखा था और आज भी देख रहे है। लेखक का मानना है कि 'दलित' शब्द के लिए आलोचना व चुनौतियाँ दोनों ही हैं। दलित भारतीय समाज को अन्य जातियों से अलग नहीं देखा जाता है। दलित आज नए आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण की ओर बढ़ रहे है इसलिए इस परिवर्तन के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधारों को खोजा जाना चाहिए, जिससे समानता, सामाजिक न्याय एवं मानव गरिमा के मूल्यों पर आधारित मानवता को स्थापित किया जा सके।
- **बतरा,एल. "सेवरेज़ एण्ड सेवरेज़ वर्करस इन इण्डिया"(2012)–** प्रस्तुत शोध में लेखक ने मैला सफाई कर्मी के जीवन की सुरक्षा के लिए किये गये प्रयासों को बताया है तथा इसे "खतरनाक सफाई" कह कर पुकारा। इसमें मैला सफाई कर्मियों द्वारा सीवर की सफाई के लिए प्रयोग किये

जाने वाले उपकरणों व उन्नत मशीनों के लिए सरकार द्वार किये गये प्रावधानों को बताया है। भारत में इन उपकरणों की कमी के कारण हजारों सफाई कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इसके समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नत होना आवश्यक है।

- **रामानाथन, वानीश्री और एलेक्स, एल्फोनसा एन. "मैनुअल स्कैवजर्सः अन्टचेबल्स इन दी मोडन एरा"(2013)–** प्रस्तुत शोध में वर्तमान में भारतीय समाज में मैला सफाई कर्मियों तथा अस्पृश्ता की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अध्ययन करना है तथा सरकारी प्रयासों का भी उल्लेख किया है। इसमें मैला सफाई कर्मियों के भेदभाव व समाधान के प्रयासों को बताया है। इन्होंनें 2013 के अधिनियम की आलोचना की है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस कमजोर वर्ग के स्वामित्व के लिए अवसर व संसाधनों को उपलब्ध करना आवश्यक है तथा इस भेदभाव और अमानवीय प्रथाओं के निवारण के लिए एक सक्षम नेतृत्व करना होगा।

- **सिद्दारामू, बी. "लिबरेशन एण्ड रिहबिलिटाइजेशन ऑफ मैनुअल स्कैवजर्स"(2013)–** प्रस्तुत अध्ययन में मैला सफाई कर्मियों के भारतीय समाज में सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बताया गया है। इसमें जाति प्रथा के कारण लोग इस कार्य में पारम्परिक रूप से जुड़े हुये है। यह अन्य सार्वजनिक और निजी शौचालयों की सफाई करने वाले कर्मियों के रूप में काम करते है। सफाई में अस्पृश्यता के कारण इनसे बुरा व्यवहार किया जाता है। सरकार द्वारा इन लोगों के लिए कई प्रयास किये जा रहे है। जिससे इस मैला सफाई के कार्य से इन्हें मुक्त कराया जाये तथा इस समुदाय के लिए पुर्नावास के कार्य किया जाये। आज संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारतीय समाज में सफाई कर्मी हाशिए पर रहते है। सफाई कर्मी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति एक जटिल समस्या बनी हुई है, जिसके निवारण के लिए न केवल पर्याप्त धन की आवश्यकता है, बल्कि "मानसिक दृष्टिकोण के कट्टरपंथी परिवर्तन" की भी आवश्यकता है। समाज को वर्ग की जरूरत है, लेकिन इसके लिए समाज में आत्म सम्मान की भावना बनाई जानी चाहिए।

- **अकरम, मोहम्मद "सोशलोजी ऑफ सैनीटेशन टैक्स बुक सीरीज़"(2015)—** प्रस्तुत पुस्तक में स्वच्छता के अध्ययन के लिए आवश्यक वैचारिक और सैद्धांतिक योगों को चित्रित किया गया है। जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और वैश्विक ऐजेंसियों द्वारा प्रदान आंकड़ों का प्रयोग किया और स्वच्छता के समाजशास्त्र के लिए एक प्रतिमान प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक में आठ अध्याय है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रौद्योगिक योजना और नीति से संबंधित स्वच्छता के विभिन्न आयामों, विकास के रुपों, संस्कृति और सामाजिक आंदोलन आदि से संबंधित है। भारत में स्वच्छता की कमी से बीमारियों का बोझ और स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है। यह मानवीय क्षमताओं को कम कर देता है। जिसमें भारी आर्थिक नुकसान व सामाजिक असमानताएँ होती हैं। भारत में अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं का सबसे बुरा शिकार सामाजिक–आर्थिक रुप से पिछड़े राज्यों से संबंधित लोग है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे सामाजिक रुप से वंचित समुहों के सदस्य स्वच्छता से संबंधित कई अभावों को भी देखते है।
- **ओमवेट, गेल "दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति"(2015)—** प्रस्तुत पुस्तक में जाति की उत्पत्ति तथा उसके विकास को ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। लेखक ने तीन राज्यों (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक) में दलित आन्दोलन को विस्तृत जाति विरोधी आन्दोलन के एक भाग के रूप में माना है जो भारतीय समाज में मुख्य प्रजातांत्रिक आन्दोलन था। यह अध्ययन ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है।
- **गुप्ता, कल्पेश कुमार "मैनुअल स्कैवन्जिग इन इण्डियाः इ शूज़ एण्ड चैलिन्ज़िस"(2015)—** प्रस्तुत शोध में भारत में मैला सफाई कर्मियों की स्थिति को बताया गया है तथा इनकी दुर्दशा को समझने के लिए मुक्ति और पुर्नावास को महत्वपूर्ण माना। और बताया कि इस कार्य में पुरूषों से अधिक महिलाएँ शामिल है। यह शोध द्वितीयक सूचनाओं पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य भारत में सफाई कर्मी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की स्थिति का विश्लेषण करना है और इसके निषेध व पुर्नावास से संबंधित कानूनी प्रावधान को उजागर करना है। इस

समुदाय के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किये गये है परन्तु यह कानून व अधिनियम मैला सफाई जैसी कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने में असफल रहे है।

- **प्रो. श्यामलाल,"अम्बेडकर और दलित आन्दोलन"(2015)–** प्रस्तुत पुस्तक में दलित आन्दोलन और अम्बेडकर के विचारों का उल्लेख किया गया है। इसमें राजस्थान के जोधपुर शहर के दलितों की स्थिति को बताया है तथा यह अध्ययन 400 परिवारों के साक्षात्कार, जाति अध्ययन अवलोकन पर आधारित है। लेखक ने इस समुदाय पर लगभग तीन शताब्दियों से हो रहे असमान्य व्यवहार को बताया है। इनका मानना है कि अगर गम्भीरता से इस समस्या पर विचार किया जाये तो राजस्थान की प्रतिष्ठा को इससे बचाया जा सकता है।
- **डॉ. शर्मा, माधवी, "सफाई कामगरों के पुनर्वास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन"(2016)–** प्रस्तुत शोध में मैला सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन किया गया है तथा बताया गया है कि भारत सरकार ने अस्पृश्यता निवारण को अपनी सामाजिक पुननिर्माण की नीति में सर्वोच्च स्थान दिया है। जिससे इस गंभीर समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि भारत के ग्रामीण जीवन में भी इस परम्परागत सामाजिक स्तरीकरण की जड़े हिल उठी है। जिससे कई क्षेत्रों में इस समुदाय के साथ पीढ़ीगत हो रहे व्यवहार में बदलाव आया है तथा इनके कल्याण हेतु अनेक स्वैच्छिक संगठन ने योजनाएँ हेतु अनुदान स्वीकृत किया है।
- **अश्विनी, बी. "मैनुअल स्कैवन्जिग– ए बोल्ट ऑन इण्डियन सोसाइटी" (2017)–** प्रस्तुत शोध मैला सफाई की कुप्रथा की उत्पत्ति, वैज्ञानिक ढाँचे, प्रशासनिक योजनाओं और न्यायिक घोषणाएँ व पुर्नावास के उपायों से संबंधित है। इस शोध का उद्देश्य मैला सफाई कर्मियों की विभिन्न चुनौतियों, उनसे संबंधित वैधानिक ढाँचे, सरकार द्वारा आयोजित समितियों व विभिन्न योजनाओं के बारे में जानना है। इससे ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा कई प्रयासों के बावजूद यह कुप्रथा समाज में मौजूद है और यह देश के कई हिस्सों में अभी भी अभ्यासरत है।

- **दीपिका, टी. "मैनुअल स्कैवन्जिगः दी पॉइन्यन्ट सिचुऐशन ऑफ ऑबस्क्युअड हीरोज़" (2017)–** प्रस्तुत अध्ययन में मैला सफाई कर्मियों की अस्पृश्यता की कठिनाईयों का विश्लेषण किया गया है तथा सफाई कर्मियों को दिये गये संवैधानिक कानूनों का उल्लेख किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य मैला सफाई कर्मी के लिए बने सरकारी नियमों के प्रभावों का विश्लेषण करना है तथा सफाई कर्मियों के अधिकारों को स्पष्ट व अस्पष्ट तरीकों से उल्लंघन किया जाता है। इसमें बताया गया है कि इन लोगों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे– उत्तरी भारत में भंगी, वाल्मीकि, चूहडा, मेहतर, मजहबी आदि। पूर्वी भारत में हर, हादी, हेला, डूम, आदि। दक्षिण भारत में मुखियार, रेली, चाचडी, टोटी आदि तथा पश्चिमी भारत में मेहतर, भंगीज, हालाखोर आदि। प्रस्तुत अध्ययन में मैला सफाई कर्मी की स्थिति के सुधार के लिए कई सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे समाज के इस अस्पृश्यता के कोढ़ को समाप्त किया जायेगा तथा इस लोकतांत्रिक भारत में सबको समान अधिकार प्राप्त हो सके।
- **चतुर्वेदी, जगदीश "शुद्र कौन थे?" (2017)–** प्रस्तुत शोध में शुद्रों पर **डॉ. अम्बेडकर** के विचारों का उल्लेख किया गया है। इस शोध का उद्देश्य शुद्रों की उत्पत्ति को ढूँढ़ना तथा उनके पतन के कारणों को खोजना है। अम्बेडकर ने प्राचीन साहित्यालोचना के मानकों के आधार पर न देखकर एक वकील के कानूनी नजरिये से देखा है तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का भी उल्लेख किया। यह खेद का विषय है कि किसी भी वर्ग ने शुद्रों की समस्या से संबंधित इन पहेलियों को हल करने के लिये आवश्यक शोध कार्य नहीं किया है, जिससे शुद्रों की उत्पत्ति को ढूँढ़ना और उनके पतन के प्रश्न का समाधान हो सके।
- **टंडन, दीपिका और बासु, मौसूमी "मैनुअल स्कैवन्जिग मस्ट एण्ड"–** प्रस्तुत अध्ययन में मैला सफाई कर्मियों तथा सफाई कर्मचारी आन्दोलन पर आधारित है। बताया गया है कि मैला सफाई का कार्य आज से 20 वर्ष पहले से प्रतिबन्धित है। जो लोग इस कार्य को करते है उनमें 98 प्रतिशत महिलाएँ लिंग असमानता की शिकार होती है। भारतीय संविधान में इनके लिये अनुच्छेद 14, 17, 21 और 23 बनाये गये है। तथा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छ

भारत अभियान में इस समुदाय के पुर्नावास के लिये 4,656 करोड़ का योगदान दिया। यह एक समस्या है जिसका निवारण आवश्यक है। इनके लिये मैला सफाई कर्मियों के पुर्नावास, शिक्षा की सुविधाएँ, अन्य व्यवसाय और अन्य लाभ जैसे चिकित्सक सहायता, घरों आदि के लिये सहयोग देना आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य–

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों के जीवन में उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. सफाई कर्मियों में शिक्षा के अभाव के कारणों का अध्ययन करना।
4. वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
5. सफाई कर्मियों का कानून व संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना–

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों की परिकल्पना निम्नलिखित है :–

1. वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति हिन्दु जातिय व्यवस्था के कारण निम्न स्तर की पायी जाती है।
2. वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों को अस्पृश्यता के कारण जीवन में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक व मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
3. जातिवादी व्यवस्था व निर्धनता के कारण सफाई कर्मियों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है।
4. वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर मैला व गन्दगी की कार्यदशाओं के नकारात्मक प्रभावों के कारण अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते है।

5. शिक्षा की कमी के कारण सफाई कर्मियों में कानून व संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है।

पद्धतिशास्त्र

पद्धतिशास्त्र का अर्थ उन सभी तरीकों और तकनीकों के रूप में समझा जा सकता है जिनका उपयोग अनुसंधान के प्रयोग के लिए किया जाता है। तथा इसी प्रकार प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए आगरा नगर के वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों की रामबाग, शिवपुरी, डाकरन (नई बस्ती), बिन्दू कटरा, मायापुरी, बाग मुजफ्फर खान, इत्यादि बाहुल्य बस्तियों का अध्ययन किया जायेगा।

वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों का विवरण			
न.	**कार्य की प्रकृति**	**जनसंख्या**	**प्रतिशत**
1.	संविदा कर्मी	1685	15.3%
2.	स्थायी कर्मी	784	07.3%
3.	अस्थायी कर्मी	8486	77.4%
	योग	**10954**	**100%**

Source:- https://timesofindia.indiatimes.com/city/...govt...manualscavengers/..

शोध प्ररचना :–

प्रस्तुत अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया जायेगा। व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रमुख उद्देश्य विषय अथवा समस्या के सम्बन्ध में यथार्थ तथ्यों का सूचनाओं के आधार पर अन्वेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है।

अध्ययन क्षेत्र :–

प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु आगरा नगर का चयन किया गया है। आगरा नगर में वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों की अनुमानित संख्या 10954 है। जिसमें सफाई कर्मियों की बाहुल्य बस्ती

रामबाग, शिवपुरी, डाकरन (नई बस्ती), बिन्दू कटरा, मायापुरी, बाग मुजफ्फर खान, इत्यादि बस्तियों का चयन किया गया है।

निदर्शन :—

प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी द्वारा आनुभाविक प्रतिवेतन के अन्तर्गत दैव निदर्शन, लॉटरी विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों की 440 (4%) इकाइयों को चयनित किया जायेगा।

अध्ययन सयंत्र :—

प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकन व साक्षात्कार अनुसुची इत्यादि अध्ययन सयंत्रों का प्रयोग किया जायेगा।

अध्ययन शोध प्रविधि :—

प्रस्तुत अध्ययन के सयंत्र के रूप में ज्यामितिय प्रदर्षन, काई वर्ग परीक्षण तथा सारणीयन इत्यादि विधि का प्रयोग किया जायेगा।

तथ्य संग्रहण की प्रविधियाँ :—

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया जायेगा। प्राथमिक स्त्रोतों में साक्षात्कार अनुसुची, अवलोकन तथा द्वितीयक स्त्रोतों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्र व इंटरनेट का प्रयोग किया जायेगा तथा प्रस्तुत शोध की प्रकृति गुणात्मक एवं परिणाम होगी।

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण :—

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों को संकलित करने के पश्चात् उनके वर्गीकरण को सारणीयन में विधि द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा। तत्पश्चात् तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन करने के बाद उनका विश्लेषण किया जायेगा। अन्त में निष्कर्ष सामान्यीकरण द्वारा प्रस्तुत कियें जायेंगें।

प्रस्तावित अध्यायीकरण

- **प्रथम अध्यायः–** **प्रस्तावना**
  - प्रस्तावना
  - अवधारणात्मक स्पष्टीकरण
  - शोध की समस्या
  - अध्ययन का महत्व
  - साहित्य पुनर्वालोकन
  - अध्ययन के उद्देश्य
  - अध्ययन की परिकल्पना

- **द्वितीय अध्यायः–** **पद्धतिशास्त्र**
  - शोध प्रारचना
  - अध्ययन का क्षेत्र
  - निदर्शन
  - अध्ययन के सयंत्रं
  - अध्ययन शोध प्रविधि
  - तथ्य संग्रहण की प्रविधियाँ
  - तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण

- **तृतीय अध्यायः–** वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन।

- **चतुर्थ अध्यायः–** वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों जीवन में उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन।

- **पंचम अध्यायः—** वाल्मिकी समुदाय के सफाई कर्मियों में शिक्षा के अभाव के कारणों का अध्ययन।
- **षष्टम अध्यायः—** सफाई कर्मियों का कानून व संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन।
- **सप्तम अध्यायः—**
  - परिणाम एंव सुझाव
  - निष्कर्ष
  - संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अकरम, मोहम्मद (2015) सोशलोजी ऑफ सैनीटेशन टैक्स बुक सीरीज़, कल्पाज़ पब्लिकेशन्स, दिल्ली–110052
- अम्बेडकर, बी. आर. (1949) अछूत– वे कौन हैं, और वे क्यों बनते हैं, न छूने योग्य? अमृत बुक कम्पनी, नई दिल्ली।
- अम्बेडकर, बी. आर. (1969) द अनटचेबल, भाटिया बुद्ध शिक्षा परिषद जेतवा, बलरामपुर, यू. पी.।
- ओमवेट, गेल (2015) उपनिवेशीय भारत में अम्बेडकर और दलित आन्दोलन, SAGE भाषा पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, इण्डिया।
- बर्मन, जैसिका (1893) मॉर्डनिस्ट कमिटमैन्ट्स–एथिक्स, पॉलिटिक्स एण्ड ट्रांसनेशनल मॉर्डनिज़म, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रैस, न्यू यार्क।
- चौधरी, उमा शंकर (2001) हिस्सेदारी के प्रश्न–प्रतिप्रश्न, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि. दरियागंज, नई दिल्ली 110 002
- दीपिका, टी. (2017) मैनुअल स्कैवन्जिगः दी पॉइन्यन्ट सिचुऐशन ऑफ ऑबस्क्युअड हीरोज़, IOSR जरनल ऑफ ह्यूमैनिटिज़ एण्ड सोशल साइन्स (IOSR-JHSS) Vol.22 Issue 7, Ver.8 PP 38-43
- फूले, ज्योतिबा गोविन्द राव (2017) गुलामगिरी, वाणी प्रकाशन, 4695, 21–ए, दरियागंज, नयी दिल्ली 110 002
- गोमती, रूपचन्द (2007) दलित रिपोटिंग, श्री नटराज प्रकाशन, दिल्ली 110053।
- जोजफ, टी. एम. (2007) लोकल गर्वनेंस ऑफ इण्डिया–आइडियाज़, चैलेंजिंग एण्ड स्टैटिज़ीज़, कोन्सेप्ट पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली–110059

- खुदशाह, संजीव(2005) सफाई कामगार समुदाय, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 110 051
- कदम, जयप्रकाश (2006) दलित साहित्य, अकादमिक प्रतिभा एकता अपार्टमेंट, गीता कॉलोनी, दिल्ली–110031
- खान, एम. फिरोज एवं अहमद, इकरार (2010) दलित विमर्श और हम, साहित्य संस्थान, गाजियाबाद।
- मेश्राम, एल. जी. 'विमलकीर्ति' (2008) और बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा... राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- माइकल, एस. एम. (2010) आधुनिक भारत में दलित दृष्टि एवं मूल्य, एन इंटरनेशनल जरनल सिन्स 2000 साउथ एसियन।
- पाठक, बिन्देश्वर (1997) सोशल जस्टिस एण्ड डवलपमैन्ट ऑफ वीकर सैक्सन, इण्टर इण्डिया पब्लिकेशन।
- पाठक, बिन्देश्वर (2005) मुक्ति के मार्ग पर, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 110 0028
- रामासामी, गीता (2005) भारत बदबू आ रही हैः आंध्र प्रदेश में मैनुअल स्केवेंजर्स और उनका काम, नवयान प्रकाशन, चेन्नई।
- रामानाथन, वानीश्री और एलेक्स, एल्फोनसा एन.(2013) मैनुअल स्कैवजर्सः अन्टचेबल्स इन दी मोडन एरा, जरनल ऑफ लीगल स्टडीज़ एण्ड रिर्सच Vol. 3 ISSUE 1 PP 140- 147
- शर्मा, रामा (1997) भंगी स्कैवजर इन इण्यिन सोसाइटी– मार्जीनल, आइडेंटिटी एण्ड पोलिटीज़ाइजेशन ऑफ द कम्यूनिटी, एम. डी. पब्लिकेशन्स, प्रा. लि. न्यू दिल्ली।
- सुलभ इंटरनेशनल, (1997) साउथ एशिया, सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टयोलेट्स (NHRC)

- श्रीवास्तव, बी. एन. (1997) भारत में मैनुअल स्केवेंजिंगः देश के लिए अपमान, संकल्पना प्रकाशन कंपनी, नई दिल्ली।
- श्रीनिवास, एम. एन. (2001) आधुनिक भारत में जाति, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., दरियागंज, नई दिल्ली 110 002
- सिंह, राजीव कुमार एवं जिआउद्दीन (2009) मैनुअल स्कैवजिंग एज़ सोशल एक्सक्लूसिवः ए केस स्टडी, इकोनोमिक एण्ड पोलिटीक्स वीकली (EPW) Vol. XLIV NOS 26&27 PP 521-523
- सिद्दारामू, बी. (2013) लिबरेशन एण्ड रिहबिलिटाइजेशन ऑफ मैनुअल स्कैवजर्स इंटरनेशनल जरनल ऑफ रिसर्च इन हयूमैनिटीज़, आर्टस एण्ड लिटरेचर (IJRHAL) Vol. 1, Issue 2 PP 29-38
- श्यामलाल (2015) अम्बेडकर और दलित आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन्स, जवाहर नगर, जयपुर (इंडिया)।
- शर्मा, माधवी, (2016) सफाई कामगरों के पुनर्वास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन इंटरनेशनल जरनल ऑफ रिसर्च इन हयूमैनिटीज एण्ड सोशल साइंस रिसर्च Vol. 2; Issue 2 PP 60-67
- ठाकुर, विमला (1991) कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण, दया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
- तूफान, के. एस. (2009) अंधेरे में रोशनी (दलित विमर्श) लता साहित्य सदन, गाजियाबाद–201102
- थोमस, विनीत (2017) दलित परसूट फॉर सोशल मोबिलिटीः एन ओवरवियू ऑफ सोशल रेवलूशन ऑफ दलित, साउथ एशियन जरनल ऑफ सोशियो–पोलिटीकल स्टडीज़ (SAJOSPS) Vol. 18 No. 1 PP 79-84

- वाल्मीकि, ओमप्रकाश (2001) दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली 110 002
- वाल्मीकि, ओमप्रकाश (2003) जूठन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली 110 002
- वणकर, नरसिंहदास (2007) दलित विमर्श, चिन्तन प्रकाशन, कानपुर–21।
- वाल्मीकि, ओमप्रकाश (2008) सफाई देवता (वाल्मीकि समाज की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि), राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- https://en.wikipedia.org/wiki/Manual_scavenging
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/...manualscavengers/.../64753069.cms
- http://www.businessdictionary.com/definition/research-methodology.html
- http://www.indiatogether.org/2006/dec/hrtscavenge.htm
- https://www.jagran.com
- https://www.jagran.com/uttar_pradesh/allahabad_city_9326899.html.
- in.one.un.org/page/breaking-free-rehabilitating-manual-scavengers/
- ncsk.nic.in/sites/default/files/AnnualReport_2014_2015_English.pdf
- thewirehindi.com/tag/manual-scavengers/
- www.drishtiias.com/hindi/.../why-it-necessary-to-eradicate-manual
- www.sulabhinternational.org/
- www.sulabhinternational.org/what-is-manual-scavenging/